पत्र संख्या—वाद /2021—22/ 1137 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर,
(वाद अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 16 दिसम्बर, 2021

एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड—1 (उ0न्या0कार्य),
प्रयागराज ।

अधोहस्ताक्षरी को संज्ञानित हुआ है कि उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज में कार्यरत अधिकारी विभाग का पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करा पाने में असमर्थ हो रहे हैं। विभाग की तरफ से पैरवी/बहस/तर्क प्रस्तुतकर्ता स्टैन्डिंग काउन्सिल को मामले के तथ्यों से प्रापरली ब्रीफ नही कर पा रहे हैं।

इसका दुष्परिणाम इस रुप में सामने आ रहा है कि एकाधिक प्रसंगों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न केवल विभागाध्यक्ष को कोर्ट में उपस्थित होने हेतु चेतावनी प्रदान की जाती है अपितु कुछ प्रसंगों में उपस्थिति का आदेश भी निर्गत किया जा रहा है। यह स्थिति न केवल असंतोषजनक है अपितु अत्यंत चिन्ताजनक है।

सम्पूर्ण घटनाक्रम के विश्लेषण पर यह तथ्य उभर कर सामने आया कि अधिकारी

- या तो स्टेशन पर उपस्थित नही रह रहें हैं।
- या उपस्थित रहने पर भी उच्च न्यायालय नही जाते हैं।
- या न्यायालय में संबंधित कोर्ट में उपस्थित नही होते हैं वरन् कोर्ट की गैलरी अथवा अन्य स्थानों पर होते हैं।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि हाई कोर्ट वर्क्स में तैनात प्रत्येक अधिकारी, पूर्ण मनोयोग से प्रतिदिन अपने कार्य से संबंधित कोर्ट में, अगले दिन प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर स्टैन्डिंग काउन्सिल को प्रापरली ब्रीफ करेगा तथा स्टैन्डिंग काउन्सिल के सन्तोषानुसार ब्रीफ कर वापस आयेगा। कोई भी अधिकारी बिना एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—1,उच्च न्यायालय कार्य,प्रयागराज की अनुमति के स्टेशन नही छोडेगा तथा एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—1,उच्च न्यायालय कार्य स्टेशन छोडने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अनुमति प्राप्त करेगें। तद्नुसार विपरीत स्थिति पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का दायित्व एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड—1 (उ0न्या0कार्य), प्रयागराज तथा उनके कार्यालय में तैनात ज्वाइन्ट कमिश्नर का है अतः उनके द्वारा प्रतिदिन समीक्षा कर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16/12/2021
(मिनिस्ती एस)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन दिनांक उक्तः—

प्रतिलिपि—1— समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड—1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये पूर्ण परिपालन सुनिश्चित करायें। यदि उच्च न्यायालय कार्य, प्रयागराज/लखनऊ के अधिकारियों द्वारा कोई सूचना/निर्देश किसी वाद के संदर्भ में दिये जाते हैं तो उनका समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त का अनुपालन कराना संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

2— एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड—2 (उ0न्या0कार्य), लखनऊ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

3— ज्वाइन्ट कमिश्नर, आई0टी0 अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकारियों को सूचित करने हेतु उक्त को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

16.11.2021

(सुनील कुमार राय)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।